Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to set up Trauma Centres on NH02 between Bagodar and Giridih and NH-31 between Kodarma and Rajauli Ghati in Jharkhand.

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी (कोडरमा): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र कोडरमा के दो राष्ट्रीय राजमार्गों की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और 31 पर यातायात बहुत ज्यादा है। दोनों ही राष्ट्रीय राजमार्गों के सौ किलोमीटर के अंदर कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है।

मैं सदन के माध्यम से मांग करना चाहती हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग-2 बगोदर के पास ट्रॉमा सैंटर खोला जाए । राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के पास कोडरमा घाटी है, जो झारखंड और बिहार दो राज्यों को जोड़ती है । यहां आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इलाज के अभाव में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को काफी परेशानी होती है । ...(व्यवधान) मेरी मांग है कि इन दोनों जगह पर ट्रॉमा सैंटर खोले जाएं।

एनएच-31 पर कोडरमा में कर्मा मेडिकल अस्पताल का शिलान्यास माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है । मेरी मांग है कि इसका निर्माण भी जल्द से जल्द हो । धन्यवाद ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगर आप अपनी सीट पर जाएंगे तो मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से जवाब देने के लिए कहूंगा।

...(व्यवधान)

12.31 hrs

(At this stage, Shri T.R Baalu, Shri S.S. Palanimanickam, Shri Bhagwant Mann and some other hon. Members went back to their seats.)

माननीय अध्यक्षः जब माननीय रक्षा मंत्री जी बोलें तब सदन में अपनी सीट से कोई टिप्पणी नहीं करेगा, जब मैं अलाऊ करूंगा तभी बोलेंगे।

माननीय रक्षा मंत्री जी।

...(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): माननीय अध्यक्ष जी, मैं 'Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha' के रूल 352 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): What about the conduct of ... * ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय रक्षा मंत्री जी की बात के अलावा किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)... *

श्री राजनाथ सिंह: इसमें साफ लिखा हुआ है । Rule 352(v) says:

"A Member while speaking shall not -

"reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms;"

एक्सपलेन करते हुए इसमें कहा गया है —

"Explanation:- The words 'persons in high authority' mean persons whose conduct can only be discussed on a substantive motion drawn in proper terms under the Constitution or such other persons whose conduct, in the opinion of the Speaker, should be discussed on a substantive motion drawn up in terms approved by the Speaker;"

मैं कहना चाहता हूं कि यदि ये गवर्नर के कंडक्ट पर चर्चा करना चाहते हैं तो इनके द्वारा एक सब्सटेंटिव मोशन मूव किया जाए, इस पर चर्चा हो सकती है ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप नोटिस दे दें, इस पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नोटिस देने के बाद मैं व्यवस्था दूंगा।

...(व्यवधान)